कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक 1301 /1–14–(4) देहरादून, दिनांक 01 ,मई 2023.

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2.समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड।
3.समस्त मुख्य वन संरक्षक,उत्तराखण्ड।
4.समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।
5.समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/ उप निदेशक, उत्तराखण्ड।

विषयः– **दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 के संबंध में।**

सन्दर्भः– **मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड,देहरादून का पत्रांक 841/29–3(3) दिनांक 19.04 2023 (प्रति संलग्न)।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित रिट याचिका सं0 616/एस0एस0/2018 नरेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में विगत में जारी दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 से विनियमितीकरण की कार्यवाही को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2018 एवं दिनांक 11.02.2019 द्वारा स्थगित किया गया है। (प्रति संलग्न है)। उक्त आदेशों के कम में कतिपय कोषागारों द्वारा वेतन भुगतान हेतु कर्मचारी कोड जारी नही किया जा रहा है।

अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृपया अग्रिम आदेशों तक विनियमितीकण की कार्यवाही नही की जाय।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

01/05/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,

पत्रांक 1301 /1–14–(4) दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग–1, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक,सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आश्य से प्रेषित कि पत्र को विभागीय बेवसाइड में अपलोड करवाने का कष्ट करे।

01/05/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,

आई. टी. पी. सी
विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें।

D. C. F.
2.5.2023

G20

भारत 2023 INDIA

सर्वोच्च प्राथमिकता/कोर्ट केस/समयबद्ध!

कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधि प्रकोष्ठ 'पंचम तल' 85, राजपुर रोड, देहरादून। ☎ 0135-2742488 Email-nodallegalcell.uk@gmail.com

2 0 APR 2023

पत्रांक 841/29-3(3) देहरादून : दिनांक 19 अप्रैल, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : रिट याचिका संख्या-190/एस0एस0/2023 विनोद कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में।

संदर्भ : अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.04.2023 के पत्र के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं। उक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई की आगामी तिथि 26.04.2023 नियत है।

अतः प्रकरण में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(मान सिंह) 19/4
मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।

संख्या :- 841/29-3(3) दिनांकित।

प्रतिलिपिः-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को संलग्नक सहित सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के तहत विभाग द्वारा दिये गये विनियमितीकरण पर मुख्य स्थाई अधिवक्ता तथा मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुये इस पर प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है। अतः अग्रिम स्थिति स्पष्ट होने तक इस नियमावली के तहत विनियमितीकरण का परीक्षण शासन के न्याय विभाग/शासन स्तर से कराये जाने की आवश्यकता है। इस विषय में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देश देना चाहें।

संलग्नकः- उपरोक्तनुसार

पत्रांक 5748/29-3(3) दि० 20-04-23
C.C.F (H.R.D)
आवश्यक कार्यवाही हेतु

(मान सिंह) 19/4
मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।

श्रीमती ममता वि०प्र०अ०
20/4/23

अ०प्र०व०सं०(प्रशा०)
21-04-2023

मु०व०सं०
मा०सं०वि० एवं का०प्र०

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून
पंजिका सं. 7829
पत्रावली सं0 29-1

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition (S/B) No. 616 of 2018

Narendra Singh and another ...Petitioners

Vs.

State of Uttarakhand and others ...Respondents

Mr. Bhagwat Mehra, learned Counsel for the petitioners.
Mr. Pankaj Purohit, learned Deputy Advocate General for the State of Uttarakhand/respondents.

Hon'ble Ramesh Ranganathan, C.J.
Hon'ble R.C. Khulbe, J.

Sri Bhagwat Mehra, learned counsel for the petitioners, would submit that the law declared by the Supreme Court in **Secretary, State of Karnataka & others Vs. Uma Devi and others** reported in **2006 (4) SCC 1** enables the State Government to regularize the services of only those employees, who have completed 10 years of service; in **State of Karnataka and others Vs. M.L. Kesari and others** reported in **(2010) 9 SCC 247**, the Supreme Court had clarified that the 10 years' period is to be reckoned prior to the date of the judgment in **Uma Devi and others (supra)** i.e. 10.04.2006; and only such of those employees, who were irregularly appointed prior to 10.04.1996, were entitled to be regularized; the 2013 Rules provide for regularization of the services of all those employees, who have completed 5 years' service on the date on which the 2013 Rules came into force i.e. 30.12.2013; in effect, it enables the State Government to regularize all those employees who were irregularly appointed before 30.12.2008; and as this would enable the State Government to regularize even those employees, who were appointed after 10.04.1996 and before 30.12.2008, the said provision

and all other writ petitions relating to service, are required to be listed before a Bench of two Judges in terms of the notification dated 3rd April, 2003.

2. On the other hand, Sri Pankaj Purohit, learned Deputy Advocate General, appearing on behalf of the State of Uttarakhand, would raise a preliminary objection to the maintainability of this writ petition on the ground that, in terms of the 2013 Rules, this matter has to be listed before a Single Judge. He would rely on the order dated 22.08.2007 whereby all Writ Petitions (M/B) (miscellaneous bench) were directed to be re-registered as Writ Petitions (S/B) (miscellaneous single), and to be listed before the appropriate Single Bench.

3. As the question, regarding whether it is the Division Bench or the learned Single Judge before whom this writ petition is to be listed, necessitates examination, we consider it appropriate to list this matter after one week. We were initially inclined to pass an order directing the respondents not to pass any orders of regularization in terms of the 2013 Rules, contrary to the law declared by the Supreme Court in **Uma Devi and others (supra)** and **M.L. Kesari and others (supra)**. We are, however, saved the trouble of passing such an order as Sri Pankaj Purohit, learned Deputy Advocate General appearing on behalf of the State of Uttarakhand, would assure us that no orders of regularization would be passed by the State Government for a period of ten days from today; and this issue, as to whether the matter should be listed before a Division Bench or before a Single Bench, be decided at the earliest.

4. Recording the aforesaid submission of the learned

CLMA No. 18590 of 2018
CLMA No. 134 of 2019
In
WPSB No.616 of 2018

Hon'ble Ramesh Ranganathan, C.J.
Hon'ble R.C. Khulbe, J.

Mr. Bhagwat Mehra, Advocate for the petitioners.

Mr. Pradeep Joshi, Standing Counsel for the State of Uttarakhand/respondents.

Mr. M.C. Pant, Advocate for the applicant in Impleadment Application (CLMA) No.134 of 2019.

Impleadment application is not opposed and is, therefore, ordered.

No counter affidavit has been filed by the State Government till date.

Interim order granted earlier is extended till further orders.

(R.C. Khulbe, J.)
11.02.2019

(Ramesh Ranganathan, C.J.)
11.02.2019

Sanjay